न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी सांचोर
पीठासीन अधिकारी – श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदनः– 07/2016 अन्तर्गत धारा 251 'ए' आर.टी.एक्ट.1955

अनवानः–

प्रार्थीगण

1.अमरूदेवी बेवा पूनमाराम
2.रमेश कुमार पुत्र पूनमाराम
3.हनुमान सिंह पुत्र पूनमाराम
4.आसुराम पुत्र छोगाराम
जतियान विश्नोई निवासीयान लाछडी
तहसील सांचोर जिला जालोर (राज.)

बनाम

अप्रार्थी

1. लक्ष्मणाराम पुत्र राजाराम
जाति मेघवाल निवासी लाछडी
तहसील सांचोर जिला जालोर (राज.)

उपस्थिति –
1– प्रार्थीगण वकील श्री इब्राहिम शाह
2– अप्रार्थी वकील श्री छोगाराम चोधरी

निर्णय दिनांक 02.09.2020

प्रार्थीगण ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार है मौजा लाछडी पटवार हल्का हाडेतर में प्रार्थीगण की खातेदारी के खेत खसरा नं. 444/247, 445/248 की खातेदारी प्रार्थी अमरू देवी, रमेश कुमार, हनुमान सिंह के नाम दर्ज है तथा खसरा नं. 247, 248 प्रार्थी आसुराम के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त पुश्तैनी हैं। जिसमें आने जाने के लिए नजदीकी रास्ता खसरा नं. 249 में से है जो नजरी नक्शा माफिक हैं वहां से हम आवागमन करते है। मवेशियो व संसाधनों के आवागमन हेतु काम में लेते आये है तथा ये ही ... नजदीकी है। इस रास्ते के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2020.09.08 16:58:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचोर)

अभाव में हम हमारे खातेदारी खेत का उपभोग नहीं कर सकते है परन्तु अभी ये रास्ता कानून के प्रभाव से वाद क्लेश होने से खसरा नम्बर 249 के खातेदार ने माफिक नजरी नक्शा रास्ता बंद कर दिया है। हम प्रार्थी गण के उक्त खातेदारी खेतों में आने जाने शांतिपूर्ण उपयोग व उपभोग के लिये रास्ते की आवश्यकता होने से हमें खसरा नम्बर 249 में से 20 फुट चौडा रास्ता दिलाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थी की गई। अप्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र के जवाब में इस प्रकार पेश किया कि प्रार्थना पत्र का अवतरण संख्या 1 मिथ्या गलत बेबुनियाद तथ्यों पर पेश किये जाने से अस्वीकार है। प्रार्थी ने उक्त भूमि कुंभा वल्द प्रेमा से खरीद की हुई है। प्रार्थी की पुश्तैनी नहीं है। प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 444/247, 445/448, 447, 448 जो कि मूल खसरा नम्बर 244, 245, 247, 248 में से नवसृजित हुये है। चूंकि प्रार्थीगण अप्रार्थी के खेत से जबरदस्ती रास्ते की मांग कर प्रार्थी को परेशान करने के नीयत रखता है। चूंकि प्रार्थीगण ने वक्त बंटवाडा खातेदारी खेत में रास्ता दर्ज नहीं करवाया ताकि अप्रार्थी के खसरा नं. 249 में से रास्ता प्राप्त कर सके जबकि प्रार्थीगण के खेतों में जाने हेतु नजदीकी रास्ता खसरा नम्बर 248 व 243 में से चलता है। वर्तमान में प्रार्थीगण वही से आवागमन कर रहे है। प्रार्थीगण खसरा नम्बर 243 में से आवागमन करते है जो नक्शा प्रदर्श 'ब' में दर्शाया गया है। प्रार्थीगण के आने जाने के हेतु रास्ता होने के बावजूद प्रार्थीगण अप्रार्थी को परेशान करने हेतु रास्ते की मांग की है जो प्रार्थना पत्र विपरीत सिद्धान्तो के होने से काबिल खारिज है। प्रार्थीगण कभी भी अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 249 में से आवागमन नहीं करते थे। प्रार्थीगण सम्पन्न वर्ग के होने व अप्रार्थी के गरीब होने से उसके खेत को दो भाग में बांटने के लिये रास्ते की मांग की है जो निराधार है। प्रार्थीगण के आवागमन हेतु नजदीकी रास्ता होने से ये प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने योग्य है। उक्त प्रार्थना पत्र धारा 251 में पोषणीय नहीं होने से काबिल खारिज है। प्रार्थीगण ने निर्धारित प्रारूप में प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया हैं जो काबिल निरस्त है।

न्यायालय के आदेश दिनांक 9.9.16 के अनुसार तहसीलदार सांचोर से मौका रिपोर्ट तलब की गई। जिसकी पालना में दिनांक 20.9.16 में पत्रांक भू.अ./16/2748 द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। अप्रार्थी द्वारा 22.9.16 को प्रथम मौका जांच रिपोर्ट पर उज्र करते हुये पुनः मौका जांच रिपोर्ट हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे स्वीकार किया जाकर पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं 19.10.16 को मौका निरीक्षण किया गया जिसे 24.10.16 को शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी द्वारा पुनः एकबार दिनांक 15.3.16 को प्रार्थना पत्र पेश कर मौका रिपोर्ट मंगवाये। जिसे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांचोर को पुनः मौका रिपोर्ट पेश करने हेतु तहरीर जारी की गई जिसकी पालना में दिनांक 22.7.20 को पुनः मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौरान बहस उभय पक्षकारों ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व तथ्यों का दोहरान किया। उभय पक्षकारों ने निम्न नजीर व दस्तावेज दौरान बहस पेश किये।

1. citation 2019 (1) dnj (raj) 113 rajasthan high court sb civil write no 18896 of 2018 decided 19/12 /2018
2. बाबूलाल बनाम सुरेश 05/2015 की आदेशिका

प्रार्थीगण द्वारा अपने खेत खसरा संख्या 444/247, 445/248, 447, 448 जुमले रकबा 4.28 हैक्टर तक पहुंच मार्ग के लिये खसरा नम्बर 249 रकबा 2.18 हैक्टर में से 20 फुट चौडे रास्ते हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण के अनुसार उनके खसरा नम्बर तक पहुंचने के लिये खसरा नम्बर 249 में से सबसे नजदीकी रास्ता उपलब्ध है जहाँ से प्रार्थीगण आवागमन कर... के आवागमन

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचोर जिला जालोर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचोर)
Signature Not Verified
Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2020.09.08 16:58:47 IST
Reason: SelfAttested

हेतु उपयोग में लेते है। अप्रार्थी के अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 444/247, 445/248, 247, 248 मूल खसरा नम्बर 244, 245, 246, 247, 248 से नवसृजित हुये है। प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में इन खेतों का चालाकी से बंटवाडा करवाया हैं। जिसमें जानबूझकर रास्ते का प्रावधान नहीं रखा गया है और अप्रार्थी के खेत से जानबूझकर रास्ता लेना चाहते है। प्रार्थीगण के नजदीक खसरा संख्या 243 में से पूर्व से रास्ता नजदीकी रूप से लगता हुआ चलता है। खेत खसरा संख्या 249 में तो पूर्व से कभी रास्ता था ही नहीं और नहीं वर्तमान में हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। प्रथम मौका जांच रिपोर्ट में नजदीक होने से खसरा संख्या 249 में से रास्ता देना उचित माना हैं व दूसरी मौका जांच रिपोर्ट में आवेदक के आने जाने हेतु चाहे गये रास्ते के अतिरिक्त आवेदक के खेत के पूर्वी उत्तरी कोने से आवागमन करता था लाछडी से बी.ढाणी सरहद तक रास्ता बना हुआ होने व वैकल्पिक मार्ग वर्णित किया है।

पत्रावली के अवलोकन से एवं रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्ट हैं कि खसरा संख्या 244, 245, 246, 247 व 248 साविक खसरा संख्या 78 व 79 से बने हैं। प्रार्थीगण द्वारा 2013 में अपने अन्य सहखातेदारों के साथ खसरा संख्या 244, 245, 246, 247 व 248 का बंटवाडा करवाया था जिसमें नवनिर्मित सभी खसरों के लिये मार्ग का प्रावधान नहीं किया गया। वर्तमान खसरे 444/247, 445/248, 447, 448 जिनके लिये प्रार्थीगण द्वारा रास्ता चाहा गया हैं जो पूर्व के खसरों से बने है। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट तहसीलदार तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नक्शा प्रदर्श 'ब' के अनुसार प्रार्थीगण को अपनी अराजी तक आने जाने के लिये वैकल्पिक मार्ग खसरा संख्या 245, 442/245 तथा खसरा संख्या 243 से होकर उपलब्ध है। जो आगे लाछडी से बी. ढाणी की सरहद मार्ग पर मिलता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधानों के अनुसार नये रास्ते का प्रावधान तभी किया जा सकता है जबकि यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता हो तथा पहुंचने के लिये वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध हो गया हो।

प्रकरण में चूंकि अराजी पहुंच तक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हैं। अतः चाहा गया रास्ता केवल सुविधाजनक उपयोग हेतु प्रतीत होता है। आत्यांतिक आवश्यकता हेतु नहीं। इसलिये प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है।

अतः प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने के कारण खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

2.9.2020

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलेक्टर, सांचोर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचोर)

पत्रावली फैसल शुमार होकर तथा नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

2.9.2020

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलेक्टर, सांचोर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचोर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2020.09.08 16:58:47 IST
Reason: SelfAttested